



2026:AHC-LKO:21044-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

रिट कर संख्या - 458 सन 2026

दिलीप सिंह यादव एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राज्य कर विभाग लखनऊ
एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	मनीष जौहरी, अंबुज कुमार बाजपेयी, जमील अहमद
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ़
माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला

- यह याचिका वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 73 के तहत दिनांक 19.12.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें संगीत वाधवाँ के नाम पर 19,01,696/- रुपये की मांग उठाई गई है।
- याचिकाकर्ता जतिन सिंह यादव, मृतक उर्मिला देवी के पुत्र ने याचिका दायर करते हुए अन्य बातों के साथ यह निवेदन किया है कि संगीत वाधवाँ का निधन 10.01.2025 को हो गया था। स्वामित्व फर्म मेसर्स कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स का जीएसटी पंजीकरण मृतक के नाम पर था। इसके बाद अधिनियम की धारा 73 के तहत मृतक के नाम पर 25.09.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हालांकि, चूंकि नोटिस पोर्टल पर अपलोड किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को पोर्टल तक पहुंचने का अवसर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं मिला, जिसके परिणामस्वरूप कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया गया और 19.12.2025 को मृतक के विरुद्ध मांग जारी करने का आदेश पारित किया गया।

3. यह तर्क दिया गया है कि जब विभाग को इस तथ्य की भलीभांति जानकारी थी कि फर्म के स्वामी की मृत्यु हो चुकी है और फर्म का पंजीकरण पहले ही रद्द किया जा चुका है, तो मृतक के नाम पर आदेश पारित करने का कोई अवसर नहीं था और चूंकि कार्यवाही मृतक के नाम पर की गई है, इसलिए यह प्रारंभ से ही अमान्य है और अतः आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 93 के प्रावधानों का हवाला देते हुए आक्षेपित आदेश का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 93 के प्रावधानों के तहत, फर्म के स्वामी की मृत्यु के बाद भी कर निर्धारण किए जाने के बावजूद, कानूनी प्रतिनिधियों से वसूली की जा सकती है।

5. हमने पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

6. निर्विवाद तथ्य यह है कि कारण बताओ नोटिस, अनुस्मारक और कर निर्धारण फर्म के स्वामी की मृत्यु के बाद किए गए हैं। अधिनियम की धारा 93 के प्रावधान, जहां तक प्रासंगिक हैं, इस प्रकार हैं:

“93. कुछ मामलों में कर, ब्याज या जुर्माना अदा करने की देयता के संबंध में विशेष प्रावधान:

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, जहां इस अधिनियम के तहत कर, ब्याज या जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति मर जाता है, तो -

(क) यदि किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा व्यवसाय उसकी मृत्यु के बाद उसके विधि प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है, तो ऐसा विधि प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के तहत उस व्यक्ति से देय कर, ब्याज या जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा; और

(ख) यदि किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा व्यवसाय उसकी मृत्यु से पहले या बाद में बंद हो जाता है, तो उसका विधि प्रतिनिधि मृतक की संपत्ति में से, उस सीमा तक जहाँ तक संपत्ति प्रभार को पूरा करने में सक्षम है, इस अधिनियम के तहत उस व्यक्ति से देय कर, ब्याज या जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

चाहे ऐसा कर, ब्याज या जुर्माना उसकी मृत्यु से पहले निर्धारित किया गया हो लेकिन अदा न किया गया हो या उसकी मृत्यु के बाद निर्धारित किया गया हो।"

7. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह केवल उस स्थिति में कर, ब्याज या जुर्माना अदा करने की देयता से संबंधित है जब व्यवसाय मृत्यु के बाद विधि प्रतिनिधि द्वारा जारी रखा जाता है या जब व्यवसाय बंद कर दिया जाता है। हालांकि, यह प्रावधान इस तथ्य से संबंधित नहीं है कि क्या किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध निर्धारण किया जा सकता है और उक्त प्रावधान किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध निर्धारण करने और विधि प्रतिनिधि से उसकी वसूली करने का अधिकार नहीं देता है।

8. एक बार जब प्रावधान फर्म के स्वामी की मृत्यु के कारण विधि प्रतिनिधि की देयता से संबंधित हो, तो यह अनिवार्य है कि विधि प्रतिनिधि को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और विधि प्रतिनिधि से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, निर्धारण किया जाना चाहिए।

9. अतः, वर्तमान मामले में किया गया निर्णय, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और विधि प्रतिनिधि को नोटिस जारी किए बिना मृतक व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय लिया गया, मान्य नहीं हो सकता।

10. फलस्वरूप, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। दिनांक 19.12.2025 का आदेश (रिट याचिका का अनुलग्नक-1) रद्द किया जाता है। प्रतिवादी कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

[न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला]

[न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ़]

मार्च 24, 2026

एस.पी.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।